निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2017	15.3.2017	18.1.2019

1. सियाराम पुत्र गोपी, मीना निवासी उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर
2. मुकेश पुत्र गोपी, मीना निवासी उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र मुरारी, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र मुरारी, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
3. मुकेश पुत्र मुरारी, महाजन निवासी गंगापुर सिटी
4. शिवचरण पुत्र मनोहरी, महाजन निवासी छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
5. रामावतार पुत्र बुद्धि , महाजन निवासी छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
6. रवि पुत्र बुद्धि , महाजन निवासी छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
7. राजू पुत्र बुद्धि , महाजन निवासी छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
8. गजाधर उर्फ गंगाधर पुत्र मीठया,महाजन नि0 छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
9. रघुपत पुत्र मीठया, महाजन निवासी छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
10. रमेश पुत्र मीठया, महाजन निवासी छोटीउदेई तहसील वजीरपुर
11. ओमप्रकाश पुत्र हरि, महाजन निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
12. हनुमान पुत्र हरि, महाजन निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
13. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री कमलेश वैष्णव, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 3315 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 3316 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 3317 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 3318 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 4702 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 5968 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 5971 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 5972 रकबा 0.17 है0 ग्राम उदेईखुर्द में स्थित है। इसमें सियाराम, मुकेश पिसरान गोपी राहिन व सूरज, मनोहरी, बुद्धि, राजू, गंगाधर, रमेश, रघुपत, हरि, रामनिवास, गोकल मुर्तहन दर्ज है जबकि कब्जा काश्त आज भी प्रार्थीगण का ही है लेकिन राजस्व अभिलेख में रहन मुर्तहन का इन्द्राज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त खसरा

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नम्बरान में से रहन मुर्तहन के इन्द्राजात को हटाकर प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी नं0 1, 4, 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी नं0 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

उपस्थित अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत मामले में तहसीलदार वजीरपुर से वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई जो उनके पत्रांक भू0अ0/2018/970 दिनांक 26.12.2018 से प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि काफी लम्बे समय से रहन मुर्तहन दर्ज चली आ रही है जबकि वास्तव में भूमि पर खातेदारान प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है एवं इसकी पुष्टि तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट से भी होती है। काश्तकारी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भी 3 वर्ष बाद रहन का इन्द्राज स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत मामले में वादग्रस्त भूमि पर रहन का इन्द्राज चले आने से प्रार्थीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में दर्ज रहन का इन्द्राज निरस्त किया जाकर भूमि प्रार्थीगण के नाम ही रखी जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि मौके पर अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है एवं अप्रार्थीगण के नाम भूमि का जो रहन दर्ज है वह हटाया जाता है तो इसमें अप्रार्थीगण को कोई आपत्ती नहीं है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम रहन दर्ज है। भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है जिसे अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने स्वयं स्वीकार किया है एवं तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट में भी वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त बताया

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

गया है। फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि के वर्तमान इन्द्राज में प्रार्थीगण दुरूस्ती करवा कर रहन का इन्द्राज हटवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 3315 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 3316 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 3317 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 3318 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 4702 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 5968 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 5971 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 5972 रकबा 0.17 है0 ग्राम उदेईखुर्द में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज " सियाराम मुकेश पि0 गोपी कौम मीना सा0 देह राहिन सूरज बल्द जयलाल हि0 1/5 मनोहरी बल्द नन्दू बुद्धि बल्द रामकुवार हि0 1/5 राजू गंगाधर रमेश रघुपत पि0 मीठया हि0 1/10 हरि रामनिवास पि0 गोकल हि0 1/10 कौम महाजन सा0 देह" के स्थान पर " सियाराम मुकेश पि0 गोपी कौम मीना सा0 देह" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड/जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड/जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)